न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 70 / 2019
तारीख दायर : 09.09.2019

अनवान

1. मांगु पिता सुखा जाट निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. उदयलाल पिता लादू लाल जाट निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. सुवालाल पिता लादू लाल जाट निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. सत्यनारायण पिता लादू लाल जाट निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. सायर पत्नि लादू लाल जाट निवासी खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माण्डलगढ़।
7. शाखा प्रबन्धक युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बीगोद तहसील माण्डलगढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री हरिओम सनाढ्य (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री राधेश्याम शर्मा (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 20.10.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खटवाड़ा पटवार हल्का खटवाड़ा में स्थित भूमि आराजी संख्या 905 / 2 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का एक मात्र कदीमी समय से रास्ता 15 फीट चौड़ा रास्ता स्थित है। जो ग्राम खटवाड़ा से खोतो में निकलकर आगे रिकॉर्डेड रास्ते आराजी नम्बर 904 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा की दक्षिणी मेड़ से होते हुए पूर्व से पश्चिमी में जाते हुये प्रार्थी की आराजी नम्बर 905 / 2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा की पूर्वी मेड़ पर पहुँचता है। उक्त रास्ता वर्तमान में खुलासा है। उक्त रास्ता मौके पर 15 फीट चौड़ा है। 40 वर्षो से प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड एवं नक्से में दर्ज नही होने से विपक्षीगण आये दिन उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देते रहते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में पहुँचने से महरूम हो रहे है। एवं फसल की देखरेख नही कर पा रहे है। दिनांक 20.08.2019 से प्रार्थी को रास्ते से निकलने देने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल. [illegible] जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि [illegible] जो [illegible] 905 / 2 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में [illegible] 904 की दक्षिणी मेड़ पर 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:28 IST
Reason: SelfAttested

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण [illegible] सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। दिनांक 16.0[illegible] को विपक्षीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 20.02.2020 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाबदावा पेशकिया गया। जवाब का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता प्रार्थी श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तथ्य छिपाकर गलत आधार पर प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी द्वारा विपक्षी की कृषि भूमि स्थित खटवाड़ा के आराजी नम्बर 905/2 का कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग नही किया है। न ही दक्षिणी मेड पर 15 फीट चौडा रास्ता मौजूद है। और न ही पूर्व से पश्चिम में जाते हुये प्रार्थी की आराजी की पूर्वी मेड पर पहुँचता है। विपक्षीगण की खातेदारी जमीन आराजी नम्बर 904 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि दक्षिणी मेड से होते हुए पूर्व पश्चिम मे 15 फीट चौडा रास्ता स्थित नही है। और न ही प्रार्थी कभी विपक्षीगण की वर्णित खातेदारी जमीन मे से होकर आया। प्रार्थी जबरन विपक्षीगण की खातेदारी जमीन आराजी नम्बर 904 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा मे रास्ता निकालना चाहता है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थी की जमीन आराजी नम्बर 905/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा पुश्तेनी नही है बल्कि खरीद शुदा है। प्रार्थी जिस जमीन पर आराजी नम्बर 905/2 मे आने जाने का रास्ता चाहता है उक्त जमीन सहित कुल 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता सुखा जाट ने 40 वर्ष पूर्व जगनाथ भण्डारी जाट व मगना भण्डारी जाट से खरीदी है। सुखा के प्रार्थी सहित चार लड़के क्रमश. हीरा, मांगू, कल्याण व नन्दा है। प्रत्येक लड़के के हिस्से मे 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि आती है। प्रार्थी के पिता ने जब से जमीन खरिदी है तब से ही उक्त जमीन पर आने जाने एवं संजबैल ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु जिसव रास्ते का उपयोग उपभोग करता है वह रास्ता खटवाडा से खेतो मे जाने के रास्ते से निकलकर प्रार्थी के सह खातेदार हीरा पिता सुखा जाट के खेत की पश्चिमी मेड पर होते हुए इनके सामलाती कुए पर पहुँचता है। प्रार्थी अपनी जमीन आराजी नम्बर 905/2 मे पहुँचने के लिए इसी रास्ते का उपयोग पिछले करीब 40 वर्ष से कर रहा है। ऐसी स्थिति मे विपक्षी की भूमि का रास्ते के रूप मे उपयोग किया जाता है तो विपक्षी को असहनीय क्षति होगी। प्रार्थी की जमीन पर आने जाने का रास्ता प्रार्थी के सह खातेदार एव उसके सगे भाई हीरा पिता सुखा जाट के खेत की पश्चिमी मेड पर मौजूद है। हीरा के हिस्से की जमीन प्रार्थी के हिस्से मे आई जमीन का जुड़ा भाग है। प्रार्थी के भाई हीरा की विगत दिनो मृत्यु हो चुकी है। उनकी जगह उनके पुत्र सुवालाल अम्बालाल के नाम नामान्तकरण खुल चुका है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थनापत्र बिना किसी उचित आधार के प्रस्तुत किया है। इसलिए विपक्षी की भूमि मे रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नही जिसे खारीज किया जाना आवश्यक है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति मे धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आकृषित नही होते है। एक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य न होकर खारिज किया जाना न्यायसगत है। अत श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 30.07.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/1096 दिनांक 27.07.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम खटवाड़ा पटवार हल्का खटवाड़ा की आराजी संख्या 905/2 पर पहुचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 904 मे से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नही है। मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की आराजी मे से 05 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग मे ली जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग मे आने वाली 05 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 94554 रूपये प्रति बीघा से 23639 रूपये बनती है। दुगुनी दर 47278 रूपये है। साथ ही तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट मे यह भी अवगत करवाया कि अप्रार्थीगण मौके पर उपस्थित थे, परन्तु संधारित मौका पर्चा पर हस्ताक्षर करने से मना किया जिसका सूचना पत्र भी शामिल फाइल है। इस आधार पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 19.10.2020 को [illegible] जिसमे यह आक्षेप किया गया है कि मौका कार्यवाही अप्रार्थीगण की [illegible] कि गई है। यह तथ्य सारहीन है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

दिनांक 20.10.2020 [illegible] बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2071–74, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 दिनांक 30.07.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर वर्तमान मे आराजी नम्बर 905/2 से प्रार्थी निकलते है प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 05 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 05 बिस्वा खातेदारी भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

94554 रू. प्रति बीघा से 23639 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 47278 रू. बनती है। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(ii) (a) के अनुसरण मे ग्राम खटवाड़ा पटवार हल्का खटवाड़ा तहसील माण्डलगढ के आराजी संख्या 905/2 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण की ग्राम खटवाड़ा पटवार हल्का खटवाड़ा की आराजी संख्या 904 मे से 05 बिस्वा रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 94554 रू. प्रति बीघा से 23639 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 47278 रू. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति मे राजकोष मे मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:26:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner